

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-(1-3) 199, 200 व 201/2016..... जिला..... उदयपुर.....

उनवान : मैसर्स डी. पी. ज्वैलर्स, 17, न्याय मार्ग कोर्ट चौराहा, उदयपुर

बनाम

1. सहायक आयुक्त, विशेष वृत-प्रथम / वृत-प्रतिकरापवंचन, उदयपुर
2. अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/02/2016	<p><u>खण्डपीठ</u> <u>श्री मनोहर पुरी, सदस्य</u> <u>श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी द्वारा ये तीन अपीलें मय स्थगन प्रार्थना-पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के स्थगन आदेश संख्या क्रमशः 191, 214 व 215/वैट/15-16/स्थगन/उदयपुर में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 11.01.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।</p> <p>तीनों प्रकरणों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।</p> <p>प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सर्साफा व्यवहारियों के लिये प्रशमन योजना, 2006 के तहत प्रशमन का विकल्प ले रखा है, जिसकी नियमित रूप से किश्तें अदा की गयी हैं। आलौच्य अवधियों में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के अपंजीकृत व्यवहारियों से पुरानी ज्वैलरी क्रय की जाकर, 'एफ' फॉर्म के जरिये अपनी मध्यप्रदेश स्थित इकाई को भिजवाई गई है। सहायक आयुक्त, विशेष वृत-प्रथम / वृत-प्रतिकरापवंचन, उदयपुर (जिन्हें आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा उक्त पुरानी ज्वैलरी के क्रय पर वैट अधिनियम की धारा 4(2) के तहत 1 प्रतिशत की दर से क्रय कर की देयता मानते हुए, 1 प्रतिशत की दर से क्रय कर एवं करापवंचन की मंशा से उक्त क्रय को वैट-10 में प्रदर्शित नहीं किये जाने के कारण धारा 61 के तहत शास्ति एवं देय कर के विलम्ब के लिये ब्याज का आरोपण किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेशों से सृजित मांग की वसूली हेतु, अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपीलें, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.2016 से अस्वीकार की गईं। अतः अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें मय स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरणों में बकाया मांग राशि की वसूली के स्थगन हेतु निवेदन किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-</p>	<p style="text-align: right;">लगातार.....2</p>

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-(1-3) 199, 200 व 201 / 2016..... जिला.....उदयपुर.....

उनवान : मैसर्स डी. पी. ज्वैलर्स, 17, न्याय मार्ग कोर्ट चौराहा, उदयपुर

बनाम

1. सहायक आयुक्त, विशेष वृत-प्रथम / वृत-प्रतिकरापवंचन, उदयपुर
2. अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज -: 2 :-	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	--	---

09 / 02 / 2016

अपील संख्या	अवधि	आरोपित			चाहा गया स्थगन
		क्रय कर	ब्याज	शास्ति	
1	2	3	4	5	6
199 / 16	2012-13	38,20,388	13,75,340	76,40,776	1,24,51,004
200 / 16	2013-14	92,39,638	24,02,306	1,84,79,276	2,91,96,220
201 / 16	2014-15	67,88,490	9,50,390	1,35,76,980	2,06,35,860

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री एम. एल. पाटौदी ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा सर्राफा व्यवहारियों के लिये प्रशमन योजना, 2006 का विकल्प लिया हुआ है। आलौच्य अवधियों में अपीलार्थी द्वारा राज्य के व्यवहारियों से क्रीत पुरानी ज्वैलरी को अपने मध्यप्रदेश स्थित मुख्यालय को 'एफ' फॉर्म के जरिये भिजवाया गया है, जहां से उक्त पुरानी ज्वैलरी से नई ज्वैलरी बनवाकर वापस मंगवाई गई है एवं नई ज्वैलरी का विक्रय किया गया है, जिस पर नियमानुसार प्रशमन शुल्क अदा किया गया है। अपीलार्थी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 18(1)(ई) के प्रावधानों की पूर्ण पालना की गयी है, अतः ऐसी स्थिति में वेट अधिनियम की धारा 4(2) के तहत क्रय कर का दायित्व नहीं बनता है। वेट अधिनियम की धारा 18(1)(ई) एवं धारा 4(2) का हवाला दिया गया, जो निम्न प्रकार हैं :-

18. Input Tax Credit. -

(1) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub-section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of -

(e) being used as raw material, except those as may be notified by the State Government, in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of inter-State trade or commerce; or

4. Levy of tax and its rate. -

(2) Every dealer who in the course of his business purchases any good other than exempted goods in the circumstances in which no tax under sub-section (1) is payable on the sale price of such goods and the goods are disposed off for the purpose other than those specified in clause (a) to (g) of sub-section (1) of section 18 shall be liable to pay tax on the

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-(1-3) 199, 200 व 201/2016..... जिला.....उदयपुर.....

उनवान : मैसर्स डी. पी. ज्वैलर्स, 17, न्याय मार्ग कोर्ट चौराहा, उदयपुर

बनाम

1. सहायक आयुक्त, विशेष वृत-प्रथम / वृत-प्रतिकरापवंचन, उदयपुर
2. अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज -: 3 :-	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
09/02/2016	<p style="text-align: center;">purchase price of such goods at the rate mentioned against each of such goods in Schedule-III to Schedule VI of the Act.</p> <p>विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी के समस्त संव्यवहार उसकी लेखा-पुस्तकों में इन्द्राजित हैं, ऐसी स्थिति में वेंट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण भी अविधिक रूप से किया गया है।</p> <p>विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हैं :-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) (1981) 48 एस.टी.सी. 239 (एस.सी.) असेसिंग ऑथोरिटी-कम-एक्साईज एण्ड टैक्सेशन ऑफिसर, गुड़गांव व अन्य बनाम ईस्ट इण्डिया कॉटन मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड (2) (2009) 32 सेल्स टैक्स टूडे 45 (एस.सी.) श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू व अन्य (3) (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 (राज.) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड्स लिमिटेड (4) 38 टैक्स अपडेट 293 (रा.क.बो.) मैसर्स प्रताप इंजीनियरिंग वर्क्स, जोधपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत-द्वितीय, जोधपुर <p>उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार करते हुए प्रकरणों में बकाया मांग राशि की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने का निवेदन किया।</p> <p>विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक श्री आर. के. अजमेरा ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा राज्य के अपंजीकृत व्यवहारियों से क्रय किये गये माल पर वेंट अधिनियम की धारा 4(2) के तहत क्रय कर का दायित्व बनता है। व्यवहारी द्वारा अपंजीकृत व्यवहारियों से माल क्रय कर, उसे अपने मुख्यालय भिजवाकर नयी ज्वैलरी बनवाने बाबत कथन किया गया है, किन्तु यह कहीं प्रमाणित नहीं किया है कि जो ज्वैलरी यहां से भिजवाई गई है, उसी से नयी ज्वैलरी बनवाकर वापस मंगवाई गई है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट रूप से धारा 4(2) के तहत क्रय कर का दायित्व बनता है। इसी प्रकार अपीलार्थी द्वारा क्रीत</p>	

लगातार.....4

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-(1-3) 199, 200 व 201/2016..... जिला..... उदयपुर.....

उनवान : मैसर्स डी. पी. ज्वैलर्स, 17, न्याय मार्ग कोर्ट चौचहा, उदयपुर

बनाम

1. सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-प्रथम / वृत्त-प्रतिकरापवंचन, उदयपुर
2. अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज -: 4 :-	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/02/2016	<p>माल का वेट-10 में अंकन नहीं किये जाने के कारण, धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण भी उचित प्रकार किया गया है। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1980) 46 एस.टी.सी. 498 बापालाल एण्ड कम्पनी बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू प्रस्तुत किया गया, जिसमें निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-</p> <p style="text-align: center;">"The assessee, a dealer in jewellery, purchase from its customers old and worn-out ornaments at the actual weight and on the ruling price of the bullion on that date and utilized the articles in the manufacture of new jewellery for sale. These articles were already subjected to tax as bullion at single point under entry 15 of the First Schedule to the Tamil Nadu General Sales Tax Act, 1959, at the time of sales to the customers as new ornaments. The assessee had also made its own mark on the manufactured jewels and it was only those jewels that the assessee took back from the customers, without any further verification, paying the ruling price of bullion on that date. The assessee contended that the old and worn-out ornaments purchased from the customers, having suffered tax under entry 15 of the First Schedule, could not again be subjected to tax under section 7-A, in view of the mandate in section 3(2). In support of this contention the assessee relied on the Statement of Objects and Reasons appended to the Tamil Nadu General Sales Tax (Amendment) Bill, 1970, which incorporated section 7-A in the statute, and also on a Government Order issued on 14th February, 1970 :</p> <p style="text-align: center;">Held, (i) that section 7-A is a separate charging provision and it is not subject to section 3(2) :</p> <p style="text-align: center;">(ii) that whatever might be the object with which the Bill proposing to incorporate section 7-A in the Act was introduced in the legislature, the courts have to go by the language employed in the provision and so far as the language of section 7-A has been interpreted by the Supreme Court in STATE OF TAMIL NADU v. M.K. KANDASWAMI [1975] 36 S.T.C. 191 (S.C.), that decision of the Supreme Court should govern the construction of section 7-A and not any Government Order issued on an incorrect under-standing of the</p>	


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-(1-3) 199, 200 व 201/2016..... जिला.....उदयपुर.....

उनवान : मैसर्स डी. पी. ज्वैलर्स, 17, न्याय मार्ग कोर्ट चौराहा, उदयपुर

बनाम

1. सहायक आयुक्त, विशेष वृत-प्रथम / वृत-प्रतिकरापवंचन, उदयपुर
2. अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज -: 5 :-	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
09/02/2016	<p style="text-align: center;">(iii) that the vendors of the assessee were all persons who were not liable to pay tax because they were not dealers and the goods or bullion were consumed in the manufacture of other goods for sale or otherwise. Therefore, both the conditions imposed by section 7-A for creating the charge were satisfied and the assessee was liable to pay tax."</p> <p style="text-align: center;">माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त (2005)</p> <p>13 टैक्स अपडेट 319 वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स आकर्षण फूड स्टाफ (प्रा0) लिमिटेड का हवाला दिया गया, जिसमें निम्न व्यवस्था दी गयी है :-</p> <p>"Rajasthan Sales Tax Act, 1994, section 11-The Rajasthan High Court held that :- (i) there is no question of mere transfer entry in the books of accounts amounting to change of character of transaction. It is on the contrary, the change of character of transaction, which was duly reflected in the books of accounts by such transfer entry. Once, these goods became the "own goods" or the goods purchased on account of "own account" by the assessee dealer, which attracted no tax u/s 4 and 12 of the Act and out of such goods, if consignment transfers (SOS) is made by the assessee dealer, it would naturally attract purchase tax u/s 11 of the Act and (ii) the mere assessment of the same as exempted sales u/s 6(A) of the CST Act by assessing authority as stated by the learned counsel for the assessee is of no consequence."</p> <p>उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपीलें मय स्थगन प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।</p> <p>उभय पक्ष की बहस पर मनन करने, अपीलीय आदेशों व कर निर्धारण आदेशों का अवलोकन करने तथा माननीय न्यायालयों के उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन करने के पश्चात प्रकरणों में कर व ब्याज के बिन्दु पर प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। केवल धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति राशि की सीमा तक सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्रों को</p> <p style="text-align: right;"> लगातार.....6</p>	



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-(1-3) 199, 200 व 201/2016..... जिला.....उदयपुर.....

उनवान : मैसर्स डी. पी. ज्वैलर्स, 17, न्याय मार्ग कोर्ट चौराहा, उदयपुर

बनाम

1. सहायक आयुक्त, विशेष वृत-प्रथम / वृत-प्रतिकरापवंचन, उदयपुर
2. अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज -: 6 :-	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/02/2016	<p>आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर, प्रकरणों में वेट अधिनियम की धारा 61(2) के तहत आरोपित 'शास्ति' राशि (उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या-5 के अनुसार) की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी व्यवहारी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रकरणों में विवादित 'कर एवं ब्याज' की सम्पूर्ण राशि जमा कराने का साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे तथा आरोपित शास्ति राशि बाबत कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करेंगे।</p> <p>अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें।</p> <p>उपरोक्तानुसार तीनों अपीलों का निस्तारण किया जाता है।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर </div> <div style="text-align: center;">  सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर </div> </div>	